बिहार सरकार
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना)
अधिसूचना

प0 सं0–14/डी0एल0ए0 शेखपुरा (आवास)–50/2013–................./रा0, पटना–15 दि0–...../...../2013

अधिसूचना सं0 –2869/रा0 **दिनांक**-11-12-13/

चुँकि बिहार सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना) को यह प्रतीत होता है कि ग्राम –कमासी, परगना–मालदह, थाना सं0 – 177 जिला –शेखपुरा में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु पुलिस उपाधीक्षक शेखपुरा का आवास/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय एवं पुलिस निरीक्षक शेखपुरा अंचल का कार्यालय–सह–आवास के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ ग्राम– कमासी के भीतर भूमि का भू–अर्जन अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 1.37½ एकड़ के बराबर होता है। जो भूखण्ड अपेक्षित है उसका खेसरा सं0 एवं चौहदी निम्न प्रकार है :–

खेसरा अनुसूची

पूर्ण सर्वे क्षेत्र सं0 – 595 = 01 खेसरा

अंश सर्वे क्षेत्र सं0 – 592,593,594,596,597,602,603,604,610= 09 खेसरा
कुल 10 खेसरा

सीमा अनुसूची
चौहदी

उत्तर – खेसरा नं0– 592, 596, 597, 599, 602

दक्षिण – खेसरा नं0– 610

पुरब – खेसरा नं0– 602, 603, 604, 610

पश्चिम – सड़क

समाहर्त्ता
शेखपुरा।

3/ Disk E/Bhuarjan/2013/August-september /Kamase4or6

कृ0 पृ0 उ0

यह अधिसूचना बिहार अधिनियम 11/1961 द्वारा संसोधित अधिनियम 1/1894 की धारा 4 के उपवंधो के अधीन इस सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध हो। उक्त भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शेखपुरा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

अपर समाहर्त्ता, शेखपुरा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शेखपुरा उनके स्टाफ तथा इस परियोजना के प्रारंभिक अनुसंधान तक लगे भू-अर्जन पदाधिकारी, शेखपुरा विभाग राजस्व के पदाधिकारियों और इनके स्टाफ को प्राधिकृत करते है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें यथा उक्त अधिनियम की धारा ....4 की उपधारा ....(2) में यथा उपवंधित या यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्य को समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

भू-अर्जन अधिनियम के धारा 17/4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार के इस परियोजना के त्वरित (Urgency) को देखते हुए यह किया गया है कि इस भू-अर्जन की कार्रवाई में भू-अर्जन अधिनियम के धारा 5.................. ए की कार्रवाई लागू नही होगी।

ह०
सरकार के अवर सचिव,

समाहर्त्ता,
शेखपुरा

ज्ञापंक ..2869....../रा०   दिनांक 11-12-13/

प्रतिलिपि :1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्र जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ। प्रकाशन उपरान्त समाचार की प्रतिलिपि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शेखपुरा को प्राप्त कराने की कृपा की जाए।
2. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. समाहर्त्ता शेखपुरा/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।
4. प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट , शेखपुरा को जिला गजट के आगामी अंक मे प्रकाश्नार्थ।

9/12/13

सरकार के अवर सचिव,